

*A. K. Singh*  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर

14.01.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखा जा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम-पैरवी व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर रवारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

*A. K. Singh*  
14/01/25  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर

